भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 35

जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

स्वर्ण ऋण दिशानिर्देश

35. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में स्वर्ण ऋण दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिशानिर्देशों में आरबीआई द्वारा प्रस्तावित निर्देशों का ब्यौरा क्या है जो छोटे, सीमांत और कम ब्याज दर वाले उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए स्वर्ण ऋणों को प्रभावित कर रहे हैं;

(घ) क्या वित्तीय सेवा विभाग ने आरबीआई को सुझाव दिया था कि 2 लाख रुपए से कम के छोटे ब्याज दर वाले उधारकर्ताओं को प्रस्तावित दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं से बाहर रखा जाए; और

(ड.) क्या आरबीआई ने वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किए गए अनुरोध का अनुपालन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए दिनांक 9.4.2025 को स्वर्ण संपार्श्विक पर ऋण देने के निर्देश जारी किए गए थे।

भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया था कि वह, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वामित्व/संगत दस्तावेज के प्रमाण की आवश्यकता के साथ-साथ उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता सहित स्वीकृत राशि के तत्कालीन प्रस्तावित लिंकेज से किसानों सहित छोटे टिकट उधारकर्ताओं को शामिल न करने पर विचार करे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण और चांदी संपार्श्विक के बदले ऋण देने पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/फीडबैक को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत-आधारित संगत विनियामकीय ढांचा तैयार करने और स्वर्ण तथा चांदी संपार्श्विक के बदले में ऋण के लिए सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) के बीच विवेकपूर्ण और आचरण-संबंधी अंतर का समाधान करने के लिए दिनांक 6.6.2025 को व्यापक निर्देश जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, ये निर्देश खपत या आय सृजन (कृषि ऋण सहित) के उद्देश्य के लिए आरई द्वारा दिए गए वैसे सभी ऋणों पर लागू होते हैं, जहां पात्र स्वर्ण या चांदी संपार्श्विक को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जाता है।

इन निदेशों की प्रमुख विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) किसी उधारकर्ता की कुल ऋण राशि 2.5 लाख रुपये से अधिक होने पर उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता के मूल्यांकन सहित विस्तृत ऋण मूल्यांकन किया जाना है;

(ii) 2.5 लाख रुपए की अधिकतम कुल उपभोग ऋण राशि के लिए मूल्य की तुलना में अधिकतम अनुमत ऋण 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iii) उधारकर्ता के साथ सभी संपर्क क्षेत्रीय भाषा में या उधारकर्ता द्वारा चयनित भाषा में होना चाहिए; और

(iv) उपचित ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान पर एकमुश्त (बुलेट) पुनर्भुगतान ऋणों का नवीनीकरण।

*****